राष्ट्रीय सहकारी प्रशिक्षण परिषद
NATIONAL COUNCIL FOR COOPERATIVE TRAINING
(An Autonomous Society Promoted by Ministry of Cooperation, Government of India)

सं. 2-1/2024-Pers. दिनांक: 20.02.2025

अधिसूचना

सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति के अनुसार, एनसीसीटी की सेवा भर्ती एवं पदोन्नति नियमावली, 2013 में निम्नलिखित संशोधन किए गए हैं:

(i) **एनसीसीटी मुख्यालय में लेखा परीक्षक तथा वामनिकॉम (ऑडिट ऑफिसर), पुणे में लेखा अधिकारी पद हेतु आवश्यक शैक्षिक योग्यताएं संशोधित कर चार्टर्ड (अकाउंट्स ऑफिसर) कर दी गई हैं। (सीएमए) कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट/(सीए) अकाउंटेंट** इन पदों के लिए भर्ती नियम, 2013 में उल्लिखित अन्य सभी शैक्षिक योग्यताएं, जैसे एमबीए (वित्त) या समकक्ष या वाणिज्य अर्थशास्त्र में/55% अंकों के साथ स्नातकोत्तर डिग्री, को तत्काल प्रभाव से हटा दिया गया है।

(ii) चयन पद्धति केवल ग्रुप 'ए' श्रेणी के पदों पर पदोन्नति के लिए नीचे दिए गए मानदंडों के अनुसार लागू होगी:

क्र.सं.	कारक	अंक
1	5 वर्ष की अवधि में APAR ग्रेडिंग में प्राप्त बैंचमार्क।	30
2	संपूर्ण सेवा रिकॉर्ड	30
3	**साक्षात्कार ('Interview')***	40

(*) डीपीसी (DPC) **'साक्षात्कार** आयोजित करेगी और 40 अंकों के निर्धारित वेटेज के आधार पर मूल्यांकन करेगी। डीपीसी उपर्युक्त मापदंडों के अनुसार समग्र मूल्यांकन भी करेगी।

(क) इसके बाद, डीपीसी (DPC) उपरोक्त मापदंडों पर उम्मीदवारों के समग्र मूल्यांकन के आधार पर उच्च पद पर पदोन्नति के लिए "फिट" और "अनफिट" उम्मीदवारों की सिफारिश करेगी। 70% से कम अंक प्राप्त करने वाले उम्मीदवारों को उस चयन चक्र के लिए पदोन्नति के लिए "अनफिट" घोषित किया जाएगा।

क्रमशः

3, सिरी इंस्टीट्यूशनल एरिया, अगस्त क्रांति मार्ग, हौज खास, नई दिल्ली–110016, 3, Siri Institutional Area, August Kranti Marg, Hauz Khas, New Delhi-110016 (India)
दूरभाष / Phone : 011-41096510, 46035930 (Direct) ई–मेल / E-mail: secy-ncct@gov.in वेबसाइट / Website : www.ncct.ac.in

(ख) यदि डीपीसी को लगता है कि चयनित अभ्यर्थियों की सूची में उक्त आरक्षित वर्ग का उचित प्रतिनिधित्व नहीं है, तो अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, दिव्यांगजन और महिलाओं जैसे आरक्षित वर्ग के लिए न्यूनतम प्रतिशत में 10% की छूट दी जाएगी।

(ग) साक्षात्कार के लिए, विचाराधीन क्षेत्र के सभी उम्मीदवारों को बुलाया जाएगा।

(घ) चयनित अभ्यर्थियों की वरिष्ठता सूची यथावत रहेगी।

यह अधिसूचना तत्काल प्रभाव से लागू होगी।

(मनीष भाटिया)
उप निदेशक (कार्मिक)

प्रतिलिपि:

1. निदेशक, वैमनीकॉम, पुणे
2. निदेशक, क्षेत्रीय सहकारी प्रबंधन संस्थान (सभी)
3. निदेशक, सहकारी प्रबंधन संस्थान (सभी)

प्रतिलिपि सूचनार्थ:

1. अपर सचिव, सहकारिता मंत्रालय एवं अध्यक्ष, कार्यकारी परिषद, एनसीसीटी के निजी सचिव।
2. संयुक्त सचिव, सहकारिता मंत्रालय एवं उपाध्यक्ष, कार्यकारी परिषद, एनसीसीटी के निजी सचिव।
3. सचिव, एनसीसीटी मुख्यालय के निजी सहायक।
4. एनसीसीटी मुख्यालय के सभी प्रभागीय प्रमुख।
5. प्रशासनिक अधिकारी, एनसीसीटी मुख्यालय को इस अनुरोध के साथ कि इस अधिसूचना को एनसीसीटी/वैमनीकॉम/ क्षे.स.प्र.सं/स.प्र.स. की वेबसाइट पर अपलोड किया जाए।
6. गार्ड फाइल (कार्मिक अनुभाग)

मनीष भाटिया
20/4/25
उप निदेशक (कार्मिक)

No. 2-1/2024-Pers. Dated: 20.02.2025

NOTIFICATION

Pursuant to the approval of the Competent Authority, the Service Recruitment & Promotion Rules, 2013 of NCCT have been amended as under:

i) The essential educational qualifications for the post of Audit Officer, NCCT HQ and Accounts Officer, VAMNICOM, Pune has been revised to Chartered Accountant (CA)/ Cost and Management Accountant (CMA). All other qualifications viz. MBA (Finance) or equivalent or Post-Graduation with 55% marks in Commerce/Economics mentioned in the existing Recruitment Rules, 2013 for these posts stands removed forthwith.

ii) The Selection method will be applicable for promotion to Group 'A' category posts only, as per criteria given below:

S.No.	Factors	Marks
1	Benchmark obtained in APAR Grading in 5 years reckoning period.	30
2.	Entire Service Record	30
3.	Interview*	40

(*) The DPC will conduct the interview and make the assessment out of the assigned weightage of 40 marks. The DPC will also make the overall assessment as per above mentioned parameters.

(a) Thereafter, the DPC will recommend the candidate "fit" and "unfit" for promotion to the higher post on the basis of the overall assessment of the candidates to be carried out on above parameters. The candidates securing less than 70% marks will be declared "unfit" for promotion for that selection cycle.

(b) A relaxation of 10% in minimum percentage for reserved category like SC, ST, PwD and Women will be given if the DPC feels that there is no proper representation from the above said reserved category in the list of Selected Candidates.

Contd----

(c) For the purpose of Interview, all the candidates in the Zone of Consideration will be called.

(d) The Inter-se Seniority of the selected candidates will remain intact.

This notification is effective immediately.

Sd/-

(Manish Bhatia)
Deputy Director (Pers.)

To,

The Director, VAMNICOM, Pune
The Director, Regional Institute of Cooperative Management (All)
The Director, Institute of Cooperative Management (All)

Copy for kind information to:

1. PS to Additional Secretary, Ministry of Cooperation & Chairman, Executive Council, NCCT.
2. PS to Joint Secretary, Ministry of Cooperation & Vice-Chairman, Executive Council, NCCT.
3. P.A. to Secretary, NCCT HQ.
4. All Divisional Heads of NCCT HQ
5. Administrative Officer, NCCT HQ with a request to upload this notification in the website of NCCT, VAMNICOM/RICMs/ICMs.
6. Guard File (Pers. Section)

20/2/25
Deputy Director (Pers.)